

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)



1. District/Unit (जिला/इकाई): बुलन्दशहर

P.S. (थाना): कोतवाली शहर

Year (वर्ष): 2025

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0697

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 30/07/2025 12:49

2. S.No. Acts (अधिनियम) (क्र.सं.)	Sections (धारा(एँ))
1 भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)
2 भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	325
3 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	11 (1) (I)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day
(दिन):

Date From
(दिनांक से):

Date To
(दिनांक तक):

Time Period
(समय अवधि):

Time From
(समय से):

Time To
(समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 30/07/2025 Time (समय): 12:34 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 039 Date & Time 30/07/2025 12:34 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): (बीट सं.):
(b) Address
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्रीधरा पुरोहित

(b) Father's Name (पिता का नाम): हेमन्त पारिक

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2001

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	कूरता प्रतिक्रिया समन्वयक ,PETA इंडिया , पो0 ओ0 बाक्स 28260 जूहू बम्बई,400049,जुहू,वरिहान मुंबई शहर,महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	कूरता प्रतिक्रिया समन्वयक ,PETA इंडिया , पो0 ओ0 बाक्स 28260 जूहू बम्बई,400049,जुहू,वरिहान मुंबई शहर,महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7428399565

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात 1			

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number
-------	-------------

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रार्थना पत्र -----सेवा में, श्रीमान थाना प्रभारी महोदयसरकारी अस्पताल के सामने, मोती बाग,कोटियाट, बुलंदशहर 203 0030 जुलाई 2025विषय: बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में कुत्ते की नृशंस हत्या के संबंध में BNSS, 2023 की धारा 173(1) के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध।प्रिय महोदय, मैं पीपल फर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया (PETA इंडिया), जो देश का सबसे प्रसिद्ध पशु अधिकार संगठन है, की ओर से आपको बुलंदशहर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में हुई एक कुत्ते की बर्बर हत्या की गंभीर घटना पर तुरंत ध्यान देने और इस जघन्य अपराध के अपराधियों के खिलाफ BNSS, 2023 की धारा 173(1) के अनुसार तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ।हमारे कार्यालय को 29 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफर्म X पर सुदर्शन न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक ट्वीट की रिपोर्ट करने वाले ईमेल और कल की भरमार मिली है, जिसमें एक सामुदायिक कुत्ते के प्रति क्रूरता का परेशान करने वाला वीडियो फुटेज है।वीडियो में एक साथ चल रही दो अलग-अलग रिकॉर्डिंग शामिल हैं। पहले वीडियो में दो आदमी एक मोटे डंडे से एक कुत्ते को वेरहमी से पीट-पीट कर मारते हुए दिख रहे हैं एक आदमी कुत्ते को छह जोरदार वार करता है, जो पहले से ही लेटा हुआ है, जिससे पता चलता है कि इन 6 वारों से पहले भी उसे मारा गया था।इसके बाद, दूसरा आरोपी, यह देखकर कि कुत्ता अभी भी जीवित है, कमान संभालता है और कुत्ते के सिर और शरीर पर वारह और वार करता है जब तक कि कुत्ता अंततः मर नहीं जाता।दूसरे वीडियो में, दो आरोपियों में से एक को कुत्ते के बेजान शरीर को गली में घसीटते हुए देखा जा सकता है।

सुदर्शन न्यूज़ द्वारा X पर प्रकाशित उक्त अपराध की स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक पेनड्राइव में संलग्न है और आपके अवलोकन के लिए इस पत्र के साथ प्रदान की गई है। जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी पशु को मारना भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 325 के तहत एक गंभीर अपराध है, जिसमें कहा गया है, जो कोई भी किसी पशु को मारकर, जहर देकर, अपंग करके या अनुपयोगी बनाकर शराबत करता है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माना, या दोनों। दोनों व्यक्तियों द्वारा किया गया कृत्य अत्यधिक अमानवीय है और इसके परिणामस्वरूप कुत्ते की मृत्यु हुई, जिससे पशु को मारने के लिए BNS, 2023 की धारा 325 का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त, यह कार्य BNS, 2023 की धारा 3(5) के दायरे में भी आता है, जो कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य इरादे के आगे किए गए कृत्यों को संबोधित करता है। इसके अलावा, पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) उन कृत्यों को परिभाषित करती है जिन्हें पशुओं के प्रति क्रूर माना जाएगा और उन्हें कानून के तहत दंडनीय बनाया जाएगा। PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(a) किसी भी पशु को अनावश्यक दर्द और पीड़ा के अधीन करने के तरीके से पीटने, लात मारने, यातना देने या व्यवहार करने पर रोक लगाती है। PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(i) किसी भी पशु (वेधर कुत्तों सहित) को विकृत करने या मारने के कार्य को एक सज्ज और दंडनीय अपराध बनाती है। यह आरोप लगाया गया है कि दो वृद्ध कुत्ते द्वारा काटे गए थे, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने कुत्ते को पीट-पीट कर मार डाला। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 (पहले पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम 2001 के रूप में जाना जाता था) के अनुसार, ABC नियम, 2023 का नियम 16, कुत्ते के काटने के मामलों के समाधान का प्रावधान करता है जहाँ यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि या तो पशु चिकित्सा अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गली के कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैनात पशु कल्याण संगठन संघर्ष के मामलों को दर्ज करने और हल करने के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे पशुओं को मानवीय रूप से पकड़कर पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में अवलोकन के लिए रखा जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ABC नियम व्यक्तियों को मामलों को अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं देते हैं। किसी भी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई, जिसमें किसी पशु को नुकसान पहुंचाना या मारना शामिल है, न केवल ABC नियमों का उल्लंघन है, बल्कि BNS, 2023 और PCA अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत एक दंडनीय अपराध भी है। ABC नियम यह अनिवार्य करते हैं कि ऐसे मामलों को नामित अधिकारियों द्वारा मानवीय और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से निपटाया जाए, और आरोपी व्यक्तियों के कार्यों ने इस कानूनी ढाँचे को दरकिनार कर दिया और कानून के शासन को कमजोर कर दिया। किसी पशु के खिलाफ अनाधिकृत कार्रवाई करना, विशेष रूप से मृत्यु में परिणत होना, न केवल अवैध है बल्कि एक खतरनाक मिसाल भी कायम करता है जो पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा

दोनों को कमजोर करता है। मेरी सहकर्मी सलोनी साकरिया के साथ एक टेलीफोनिक बातचीत में, उन्हें सूचित किया गया था कि पुलिस FIR दर्ज न करने पर विचार कर रही है क्योंकि कुत्ते ने दो बच्चों को काट लिया था, जिसे वाद में आत्मरक्षा के कृत्य के रूप में वर्गीकृत करके मार दिया गया था। आत्मरक्षा केवल तभी स्वीकार्य आधार है जब इसका प्रयोग स्वयं की रक्षा की सीमा तक किया जाए और इससे आगे न बढ़ाया जाए। उक्त मामले में, भले ही यह सच हो कि दो बच्चों को कुत्ते ने काट लिया था, वीडियो से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वे आत्मरक्षा से आगे निकल गए। लगातार वार करना, विशेष रूप से कुल 18 वार/प्रहार, स्पष्ट रूप से आत्मरक्षा का कार्य नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, कथित आत्मरक्षा में किए गए किसी भी कार्य को कानून की अदालत द्वारा निर्धारित और तय किया जाना है, और पुलिस आत्मरक्षा के दावे को स्वीकार करके FIR दर्ज करने से बच नहीं सकती है। हम आपके ध्यान में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(C) संख्या 11686 का 2007 एनिमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए. नागराज में 7 मई 2014 को पारित निर्णय भी लाना चाहेंगे, जिसमें न्यायालय ने माना है कि PCA अधिनियम, 1960 को लागू करना सरकार का कर्तव्य है, और यदि अधिनियम के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और घोषणाओं का ठीक से और प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जाता है, तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ताकि अधिनियम का उद्देश्य और प्रयोजन प्राप्त किया जा सके। माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1545 का 2025 इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य और अन्य में 28 मार्च 2025 को पारित एक निर्णय में, शीर्ष न्यायालय ने माना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173(1) के तहत, यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करती है, तो बिना किसी प्रारंभिक जांच के तत्काल FIR दर्ज करना अनिवार्य है। प्रामाणिक घोषणा के मद्देनजर, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यहां प्रस्तुत जानकारी एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करती है। ऊपर वर्णित घटना एक गंभीर आपराधिक कृत्य है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप संबंधित कानून और वाध्यकारी मिसालों के अनुसार कार्रवाई करें, BNSS, 2023 की धारा 173(1) के तहत, BNS, 2023 की धाराओं 3(5) और 325, PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(I), और किसी भी अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत किए गए अपराधों के लिए तत्काल एक FIR दर्ज करने का अनुरोध करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो मुझसे 7428395765 या spurohit@petaindia.org पर संपर्क किया जा सकता है। भवदीय, श्रीधरा पुरोहित पुत्री हेमन्त पारिक कूरता प्रतिक्रिया समन्वयक, PETA इंडियापो.ओ.वाक्स 28260 जूहू बम्बई 400049 मो0न0 7428395765 एसडी श्रीधरा पुरोहित एफआईआर लेखक है0 का0821 हरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर बु0शहर उ0प्र0

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Kapil Kumar
(जांच अधिकारी का नाम):

Rank SI (Sub-Inspector)
(पद):

No. 152331218 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.
(थाना):

District
(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.L.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the
complainant / informant.(शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):



15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



Signature of Officer in charge,
Police Station

(माना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS KOTWALI CITY

Rank I (Inspector)

No. 9454403163